जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 403 प्रभात हिण्डौन सिटी, बुधवार 17 दिसम्बर, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'मनरेगा के नाम परिवर्तन का विरोध, राम का विरोध है'

भाजपा ने स्कीम का नाम जी राम जी करके एक नई दुविधा खड़ी की, कांग्रेस के सामने

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि क्या नरेन्द्र मोदी सरकार अब महात्मा गांधी को लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश में, महात्मा गांधी बनाम भगवान राम का एक नया कथानक गढ़ने की कोशिश कर रही है?

मनरेगा का नाम बदलकर अब जी राम जी किया जा रहा है और इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश कर किया गया है और इस पर चर्चा होगी और यह पास हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में भाजपा और एनडीए के पास बहुमत है।

दिलचस्प बात यह है कि एनडीए का एक सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) भी इस विधेयक का विरोध कर रहा है। यह विधेयक उस मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रयास करता है, जिसे कांग्रेस ने ग्रामीण बेरोजगारों को काम देकर उनकी आजीविका चलाने में मदद के लिए शुरू किया था। आज पूरे विपक्ष ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और कल पार्टी देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। यह विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को भी होगा, जो कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है।

यदि विपक्ष नाम बदलने का विरोध कर रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह भगवान राम का विरोध कर रहा है? यही वह कथानक है, जिसे भाजपा गढ़ना चाहती है।

जब आर.एस.एस. के आदमी ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तो उनके आखिरी शब्द थे, "हे राम"। विरोधाभास महात्मा गांधी के मन में नहीं था, बल्कि भाजपा और उसके नेताओं के मन में है।

विधेयक के प्रावधानों को बदल दिया गया है, ताकि यह योजना केन्द्र की फंडिंग पर निर्भर रहे और यदि फंड खत्म हो जाएं तो योजना निलंबित हो जाए।

कांग्रेस का आरोप है कि इसका मकसद धीरे-धीरे महात्मा गांधी की विरासत को मिटाना है। जिन्हें राष्ट्र राष्ट्रपिता के रूप में पूजता है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में सम्मान देता है, और जिन्होंने एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी के हाथों अपनी जान गंवाई थी और यही कथानक नरेन्द्र मोदी सरकार फिर से बना रही है।

- यह विवाद कितना जीवंत होगा, यह तो समय ही बताएगा, पर, कांग्रेस इसे महात्मा गांधी का नाम मिटाने का प्रयास बताकर, भारी आंदोलन खड़ा करने का गंभीर प्रयास कर रही है।
- बुधवार को कांग्रेस ने देश भर में हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है तथा घोषणा के अनुसार, प्रियंका गांधी इस विरोध के कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगी। कांग्रेस का तर्क है कि विवाद खोखला है, क्योंकि महात्मा गांधी के मन में कभी भी राम के प्रति कोई अनादर की भावना नहीं थी, बल्कि, गोली लगने के बाद मरने से पहले, उनके अंतिम शब्द थे, "हे राम"।

डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित तृतीय श्रेणी अध्यापक गिरफ्तार

जयपुर, 16 दिसम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित अध्यापक को गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि प्री रीट परीक्षा 25 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। एसओजी को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि देवीलाल निवासी सिणधरी जिला बालोतरा हाल पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली राणों की ढाणी बोडवा ब्लॉक बायतू जिला बालोतरा में पदस्थापित है, वह तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में नहीं बैठा था। पड़ताल करने पर पता चला कि देवीलाल के स्थान पर देवा राम ने परीक्षा दी थी। जिसके बदले में देवीलाल ने देवा राम से पांच लाख रुपये में सौदा तय किया था। परीक्षा देने के बाद 3 लाख रुपये दिये थे। देवाराम को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की गई। उसने माना कि वह देवीलाल का डमी प्रत्याशी था। इसके बाद एसओजी की टीम ने देवीलाल की तलाश की तो देवीलाल अपने आपको पूर्णत: आईसोलेट किया हुआ था एवं अपने विद्यालय से भी अनुपस्थित था। पर अतंत: एसओजी ने देवीलाल जाट को गिरफ्तार कर लिया।

- चयनित देवीलाल ने 5 लाख रूपए में देवाराम से परीक्षा दिलवाई थी।

नीतीश कुमार का ग्यारह मिनिट का एक नया वीडियो वायरल हुआ

वीडियो में नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला से हिजाब उतारने के लिए कुछ कहते दिख रहे हैं, पर, महिला इस दिशा में कुछ करती इसके पहले मु.मंत्री ने आगे बढ़कर स्वयं खींच कर उसका हिजाब उतार दिया

-श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक महिला के चेहरे से "हिजाब" खींचने के हैरान कर देने वाले कृत्य के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे विवाद और उनसे इस्तीफा देने की मांगें एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं।

नये भर्ती हुए आयुष (आयुर्वेद, योग और नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) डॉक्टरों के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में, 74 वर्षीय मुख्यमंत्री बुर्का वाली एक महिला से "हिजाब" हटाने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया देती, मुख्यमंत्री ने खुद ही हिजाब खींच दिया। समारोह के 11 मिनट क वीडियो में मुख्यमंत्री की यह हरकत बखूबी नज़र आ रही है।

विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से कश्मीर के नेताओं ने इस निर्लज्ज और घटिया कृत्य पर आपत्ति जताई है और मांग की है कि कुमार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने एक्स पर कहा, "बिहार में सर्वोच्च पद पर आसीन एक व्यक्ति इस घटिया कृत्य में खुलकर शामिल हो रहा है। जरा सोचिए, राज्य की महिलाएं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जद (यू) नेतागण, इस कृत्य को पिता तुल्य स्नेह का प्रतीक बताकर समझा रहे हैं।
- पर, मुस्लिम नेताओं ने, विशेषकर कश्मीर के नेताओं, जैसे महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इस घटना से जाहिर होता है कि नीतीश के राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और मु.मंत्री को इस शर्मनाक कृत्य के कारण तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
- भाजपा के लोग, ढूंढ-ढांढ कर गहलोत के राज की घटना की याद ताज़ा कराने में जुटे, जब, मु.मंत्री ने एक महिला का घूंघट उतार दिया था।
- इस संदर्भ में नीतीश कुमार की ऐसी पुरानी बेढब सी घटनाओं की पुनः चर्चा हो रही है और यह भी कहा जा रहा कि गत वर्ष नीतीश कुमार की इंगलैण्ड की यात्रा भी नीतीश के इलाज के लिए ही थी।

प.बंगाल की वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम कटे

यह घटनाक्रम प.बंगाल में राजनैतिक तूफान ला सकता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। पश्चिम बंगाल की प्रारंभिक मतदाता सूची से, स्पेशल इंटैन्सिव रिवीज़न (एसआईआर) के बाद, 58 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं और यह घटनाक्रम प.बंगाल, जहाँ चुनाव होने वाले हैं, में राजनैतिक तूफान पैदा कर सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य डुप्लिकेशन और गलतियों को बाहर करना था। इन 58 लाख नामों में से 24 लाख को "मृत", 19 लाख को "स्थानांतरित", 12 लाख को "गायब", और 1.3 लाख को "डुप्लिकेट" के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रारंभिक सूची के प्रकाशन का अर्थ है, एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। जिनके नाम सूची से गलत तरीके से हटाए गए हैं, वे अब आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और सुधार की मांग कर सकते हैं।

इन आपत्तियों के निपटारे के बाद, अंतिम सूची अगले वर्ष फरवरी में प्रकाशित की जाएगी। बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद की जाएगी। बंगाल में पिछला एसआईआर 2002 में किया गया था।

- एसआईआर के बाद प्रकाशित संशोधित मतदाता सूची में जो 58 लाख नाम कटे हैं, उनमें से 24 लाख को मृत, 19 लाख को स्थानांतरित, 12 लाख को लापता व 1.3 लाख को डुप्लीकेट बताया गया है।
- राजनैतिक विश्लेषकों का सवाल है कि ममता बनर्जी, जिन्होंने चुनाव आयोग को एक भी नाम नहीं काटने की चुनौती दी थी, अब कौनसा कदम उठाएंगी।
- हालांकि, जिन लोगों के नाम कटे हैं वे आपत्ति पत्र देकर सुधार की अपील कर सकते हैं। उसके बाद फरवरी में फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरा, 131 उड़ानें रद्द

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को 131 उड़ानें रद्द रहीं।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि शाम छह बजे तक दिल्ली से जाने वाली 52 और दिल्ली आने वाली 79 घरेलू उड़ानें अब तक रद्द रही हैं। आज हालांकि सोमवार की तुलना में स्थिति कुछ बेहतर रही, लेकिन सोमवार को हुई देरी और रद्द रही उड़ानों का असर भी परिचालन पर देखने को मिला।

दिल्ली में सोमवार को 228 उड़ानें रद्द रही थीं, जिनमें 131 जाने वाली और 97 आने वाली उड़ानें थीं। इसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हवाई अड्डे के अफसरों ने बताया शाम 6 बजे तक दिल्ली से जाने वाली 52 और आने वाली 79 घरेलू उड़ानें रद्द की गईं हैं।

'19 दिसंबर तक हर दिन सदन में मौजूद रहें'

भाजपा ने अपने लोकसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी सप्ताह शुरु हो गया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें 15 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक प्रत्येक दिन सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

यह व्हिप इस सप्ताह के दौरान सरकार द्वारा पेश किये जाने वाली कई विधेयकों पर मतदान होने के कारण जारी किया गया है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त किया जाना तथा इसके स्थान पर एक नई ग्रामीण रोजगार योजना 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' लाया जाना शामिल है।

इस सप्ताह मंजूरी के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में नए आपराधिक न्याय विधेयक और बीमा संशोधन विधेयक शामिल हैं, जिसके तहत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इनके अलावा 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' भी पेश किया जाना है।

- संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम सप्ताह शुरु हो गया है और केन्द्र सरकार मनरेगा अधिनियम को खत्म कर उसकी जगह नई ग्रामीण रोज़गार योजना लाना चाहती है, जिसका नाम है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)।
- इसके अलावा नये क्रिमिनल जस्टिस बिल, बीमा संशोधन बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल लाया जाएगा।
- भाजपा चाहती है कि वह सदन में पूर्ण संख्या बल से उपस्थित रहे ताकि ये विधेयक पारित हो सकें।

सलमान खान व राजश्री पान मसाला से जवाब मांगा

जयपुर, 16 दिसंबर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 महानगर द्वितीय ने भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने के आरोप के साथ, दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान और राजश्री पान मसाला निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये निर्णय आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने योगेन्द्र सिंह के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।

परिवाद में कहा गया कि राजश्री पान मसाला निर्माता अपने उत्पाद का फिल्म अभिनेता सलमान खान से प्रचार कराते हैं। विज्ञापन में इस उत्पाद को इलायची बताया गया है, लेकिन इसकी पैकेजिंग और प्रचार शैली के साथ, शब्दों से यह लोगों को पान मसाला और गुटखा जैसे हानिकारक उत्पाद का उपयोग करने के लिए आकर्षित करता है। ऐसे में यह भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा में आता है।

परिवाद में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट साल 2004 में तय कर चुका है कि किसी उत्पाद का समर्थन करने वाले सेलिब्रिटी को भी उस उत्पाद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जिला उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने के आरोप में नोटिस जारी किए।

लूथरा बंधु एयर पोर्ट से गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों, लूथरा बंधुओं, को मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों भाई क्लब में आग लगने के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड भाग गये थे और भारत सरकार की ओर से की गयी पहल के बाद इन्हें स्वदेश लाया गया है।

ये दोनों भाई आज दोपहर 1.45 बजे इंडिगो की उड़ान से दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दोनों को पटियाला हाउस अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहाँ गोवा पुलिस उनके ट्रांजिट रिमांड की मांग कर सकती है।

गौरतलब है कि उत्तरी गोवा के आरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी रात को आग लगने की दुर्घटना के कारण 25 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकांश पीड़ितों की मौत दम घुटने से हुई थी।

इस बीच, लूथरा बंधुओं को लेकर आ रहे इंडिगो विमान के पायलट और विमान में मौजूद पत्रकारों के बीच कहासुनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- गोवा नाइट क्लब हादसे के आरोपी तथा नाइट क्लब के मालिक गौरव एवं सौरभ लूथरा मंगलवार दोपहर पौने दो बजे इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

'ठिकाना गलता पीठ में कोई नया निर्माण और व्यवसायिक गतिविधि नहीं हो'

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और देवस्थान विभाग को आदेश दिए

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 16 दिसम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार और देवस्थान विभाग जयपुर के ठिकाना गलतापीठ तीर्थ स्थल पर कोई भी नया निर्माण नहीं करें और यह सुनिश्चित करें कि यहां केवल धार्मिक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाए। किसी अन्य तरह की व्यवसायिक गतिविधि जैसे कि फिल्म शूटिंग अथवा अन्य कोई कार्य नहीं हों।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने अवधेशाचार्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरूचि कासलीवाल पैरवी के लिए पेश हुई थीं।

जैसा कि विदित है कि ठिकाना गलताजी में महंत की गद्दी के विवाद पर हाईकोर्ट में मामला लंबित है और इस संदर्भ में अवधेशाचार्य की ओर से हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। पूर्व में इस अपील पर जिरह के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिए थे कि देवस्थान विभाग और राज्य सरकार गलता ठिकाने की सार-संभाल करें और यहां मंदिरों में पूजा-अर्चना और नित्य गतिविधियां पूर्ववत सुचारू रूप से जारी रखना सुनिश्चित करें।

हाईकोर्ट ने देवस्थान विभाग को यह भी आदेश दिए थे कि वह किसी भी तरह के निर्माण कार्य, जो कि पूजा-अर्चना करने अथवा रखरखाव कार्यों से संबंधित हैं, का रिकॉर्ड भी अपने पास रखें।

मौखिक बहस के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि गलता ठिकाने पर इन दिनों नए-नए निर्माण हो रहे हैं, जिनका पूजा-अर्चना से कोई लेना-देना नहीं है। कई जगहों पर नई-नई मूर्तियां स्थापित भी की जा रही हैं और गलता ठिकाने के तीनों पवित्र कुंड, यज्ञ वेदी, गोपाल कुंड और सूर्य कुंड में, जहां साधु-महात्मा और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहां पर प्रशासन द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। पूर्व में यहां पर पहाड़ों के बीच से प्राकृतिक जलधारा का प्रवाह होता था, परंतु सरकारी महकमे द्वारा अब यहां छेड़छाड़ करते हुए बीसलपुर का पानी पहुंचाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार, पूर्व में इन तीनों कुंडों में प्राकृतिक जल प्रवाह गौ-मुख के जरिए आता था। गौ-मुख से जो प्राकृतिक जलधारा आती थी, उसे अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि हाल ही में प्रशासन ने एक टैंडर जारी किया है, जो कि वाहन पार्किंग गतिविधियों और निर्माण कार्यों से संबंधित है, और हाईकोर्ट के मूल आदेश के विपरीत है, क्योंकि यह कार्य धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं है।

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार और देवस्थान विभाग को आदेश दिए हैं कि यह शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए कि ठिकाना गलता पीठ में किसी तरह का कोई नया निर्माण कार्य नहीं हो और यहां व्यावसायिक गतिविधियां भी नहीं होनी चाहिए।

- याचिकाकर्ता अवधेशाचार्य की ओर से अदालत में अपील दायर कर कहा गया था कि, "गलता ठिकाने पर इन दिनों नए-नए निर्माण हो रहे हैं, जिनका पूजा-अर्चना से कोई लेना-देना नहीं है।"
- ज्ञात रहे कि गलताजी तीर्थ स्थल पर महंत की गद्दी को लेकर भी विवाद हाईकोर्ट में लंबित है, यहां फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ही सार-संभाल व पूजा-अर्चना सुनिश्चित कर रही है।

नैशनल हैरल्ड केस कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट ठुकराई

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

इस आदेश से मामले में नामित अन्य पाँच आरोपियों को भी राहत मिली है। अदालत ने हालांकि कहा कि यदि ईडी चाहे तो अपनी जाँच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है।

अदालत ने टिप्पणी की, "पंजीकृत प्राथमिकी के अभाव में धन शोधन की जाँच और उसके आधार पर दायर की गयी अभियोजन शिकायत कायम नहीं रह सकती।"

अदालत ने कहा, "इस तरह की शिकायत के आधार पर धन शोधन के लिए कानूनी कार्यवाही भी स्वीकार्य नहीं है। किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।" अदालत ने कहा कि मामले के गुण-दोषों पर अन्य तर्कों की जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईडी के आरोप पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया गया था, जिसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने कहा इस तरह की शिकायत के आधार पर धनशोधन के लिए कानूनी कार्यवाही भी स्वीकार्य नहीं है।